न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2020(रसद) (GCMS 2020/00291)	05.08.2020	02.08.2023

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

ललित खटीक सावा रोडा शम्भपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — प्रार्थी
सूर्यपाल सिंह (अनुपस्थित) — विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) 1999 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन अधिकारी पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.04.2020 रात्रि 09 बजे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पुलिस थाना शम्भुपुरा से दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सावा रोड शम्भुपुरा में अग्रवाल किराणा एवं बालाजी फर्नीचर के सामने स्थित ललित खटीक के मकान में पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में 64 प्लास्टिक एवं लोहे के ड्रम जिनमें 11 लोहे के ड्रमों में 1667 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गयाा एवं घरेलू गैस के 20 सिलेण्डर जिनमें 8 सिलेण्डरों में 119.7 किलोग्राम गैस का होना पाया गया का ललित खटीक के मकान में अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर ललित खटीक वहां से फरार हो गया। उसके मकान की जांच की गई जिसके तहखाने में 20 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिनमें 8 सिलेण्डर गैस से भरे हुए सील्ड व 12 रिक्त सिलेण्डर पाये गये। तहखाने के उपर दोनो दुकानों का निरीक्षण करने पर उक्त दोनो दुकानों में 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम पाये गये। जिनमें 11 ड्रमों

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया तथा शेष 53 रिक्त ड्रम पाये गये। इनके अलावा उक्त दुकानों में 4 रिफिलिंग मोटर जिनके दोनों सिरों पर रिफिलिंग वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता के पाये गये। मौके पर मालिक के बारे में पूछताछ करने पर ललित खटीक फरार होना बताया गया। भण्डारण स्थल पर घरेलू गैस व पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त समस्त सामग्री को कब्जे में लेकर ट्रेक्टरों में भरवाकर थाना शम्भुपुरा वास्ते अभिरक्षा डिटेन कर रखवाई गई तथा इसकी जानकारी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दी गई। दिनांक 24.04.2020 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार आवेदक पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ बहमराह हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी व शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक शम्भुपुरा थाना पहुचें। मौके पर पहुँचकर थानाधिकारी शम्भुपुरा से प्राप्त तहरीर के आधार पर डिटेन की गई समस्त सामग्री का अवलोकन कर एवं मौतबिरान के समक्ष मापन किया गया। जब्तशुदा 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रमों में से 53 ड्रम रिक्त पाये गये व 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसका विवरण आवेदन वर्णित हैं। सभी प्लास्टिक एवं लोहे के भरे हुए 11 ड्रमों का मौके पर गेज से मापन कर समानुपात मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ का समांग मिश्रण लिया गया। इन नमूनों को क्रमांक **A, B, C** देकर सीलड किया गया। उक्त 3 नमूनों में से नमूना **A** एवं **B** शम्भुपुरा थाना चित्तौड़गढ़ को एवं नमूना **C** जिला रसद कार्यालय की सुपुर्दगी में दिया गया। कब्जे में लिये गये 20 घरेलू गैस सिलेण्डर में से 12 सिलेण्डर रिक्त एवं 8 सिलेण्डर भरे हुए पाये गये जिनका विवरण आवेदन वर्णित है। मौके पर मौतबिरान के समक्ष फर्द मौका मय जब्ती सुपुर्दगी नामा तैयार कर पढाकर सुनाकर सही जानकार बिना दबाव के हस्ताक्षर किये गये। अंत में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 12 रिक्त सिलेण्डर व 8 भरे हुए सिलेण्डर 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम जिनमें 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया तथा शेष 53 रिक्त ड्रम पाये गये। इनके अलावा उक्त दुकानों में 4 रिफिलिंग मोटर जिनमें दोनों सिरों पर वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 15.09.2020 को विपक्षी की और से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षी पूर्व पेशी दिनांक 04.07.2023 को हाजिर नहीं रहे। दिनांक 02.08.2023 को अधिवक्ता विपक्षी हाजिर नहीं रहे। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं रहे। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत की अधिवक्ता विपक्षी अदालत मजाज हाजिर नहीं आये। इस पर विपक्षी की अनुपस्थिति रिकार्ड की जाकर विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

23.04.2020 रात्रि 09 बजे जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पुलिस थाना शम्भुपुरा से दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सावा रोड शम्भुपुरा में अग्रवाल किराणा एवं बालाजी फर्नीचर के सामने स्थित ललित खटीक के मकान में पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में 64 प्लास्टिक एवं लोहे के ड्रम जिनमें 11 लोहे के ड्रमों में 1667 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गयाा एवं घरेलू गैस के 20 सिलेण्डर जिनमें 8 सिलेण्डरों में 119.7 किलोग्राम गैस का होना पाया गया का ललित खटीक के मकान में अवैध भण्डारण पाया गया। मौके पर ललित खटीक वहां से फरार हो गया। उसके मकान की जांच की गई जिसके तहखाने में 20 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिनमें 8 सिलेण्डर गैस से भरे हुए सील्ड व 12 रिक्त सिलेण्डर पाये गये। तहखाने के उपर दोनो दुकानों का निरीक्षण करने पर उक्त दोनो दुकानों में 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम पाये गये। जिनमें 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया तथा शेष 53 रिक्त ड्रम पाये गये। इनके अलावा उक्त दुकानों में 4 रिफिलिंग मोटर जिनके दोनों सिरों पर रिफिलिंग वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता के पाये गये। मौके पर मालिक के बारे में पूछताछ करने पर ललित खटीक फरार होना बताया गया। भण्डारण स्थल पर घरेलू गैस व पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त समस्त सामग्री को कब्जे में लेकर ट्रेक्टरों में भरवाकर थाना शम्भुपुरा वास्ते अभिरक्षा डिटेन कर रखवाई गई। थानाधिकारी शम्भुपुरा से प्राप्त तहरीर के आधार पर डिटेन की गई समस्त सामग्री का अवलोकन कर एवं मौतबिरान के समक्ष मापन किया गया। जब्तशुदा 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रमों में से 53 ड्रम रिक्त पाये गये व 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया जिसका विवरण आवेदन वर्णित है। सभी प्लास्टिक एवं लोहे के भरे हुए 11 ड्रमों का मौके पर गेज से मापन कर समानुपात मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ का समांग मिश्रण लिया गया। इन नमूनों को क्रमांक **A, B, C** देकर सील्ड किया गया। उक्त 3 नमूनों में से नमूना **A** एवं **B** शम्भुपुरा थाना चित्तौड़गढ़ को एवं नमूना **C** जिला रसद कार्यालय की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो पेट्रोलियम उत्पाद आदेश (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) 1999 एवं एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 12 रिक्त सिलेण्डर व 8 भरे हुए सिलेण्डर 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम जिनमें 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया तथा शेष 53 रिक्त ड्रम पाये गये। इनके अलावा उक्त दुकानों में 4 रिफिलिंग मोटर जिनमें दोनों सिरों पर वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो पेट्रोलियम उत्पाद आदेश (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) 1999 एवं एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 12 रिक्त सिलेण्डर व 8 भरे हुए सिलेण्डर 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम जिनमें 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा तथा शेष 53 रिक्त ड्रम, 4 रिफिलिंग मोटर जिनमें दोनों सिरों पर वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **119.7 Kg.** गैस एवं 1667 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 080 दिनांक 24.04.2020 में दिनांक 23.04.2020 को सावा रोड शम्भुपुरा में अग्रवाल किराणा एवं बालाजी फर्नीचर के सामने स्थित ललित खटीक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के मकान में से जब्त शुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 12 रिक्त सिलेण्डर व 8 भरे हुए सिलेण्डर 64 प्लास्टिक व लोहे के ड्रम जिनमें 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा तथा शेष 53 रिक्त ड्रम, 4 रिफिलिंग मोटर जिनमें दोनों सिरों पर वॉल्व लगे हुए 3 लोहे के मापक जार/कीट 15 लीटर क्षमता के 2 छोटे प्लास्टिक के जरीकेन 50 लीटर क्षमता के 1 इलेक्ट्रिक कांटा 7 प्लास्टिक जरीकेन 40 लीटर क्षमता एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल **119.7 Kg.** गैस एवं 1667 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **02.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official